बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) GTSNY–999/2017 2154 /पटना, दिनांक– 18/6/18

प्रेषक,

संजय कुमार भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघुशीर्ष–103–ग्राम विकास राज्य योजना उपशीर्ष 0119–ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना, 5301–मूल निर्माण कार्य के अन्तर्गत राज्य के **सुपौल जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के क्षेत्राधीन ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत छातापुर प्रखंड के House of Harilal Rajak to Mandal Tola तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.10 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 82.25 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 2.18 लाख अर्थात कुल राशि 84.43 लाख (चौरासी लाख तेतालीस हजार रूपये)** मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–लघुशीर्ष–103–ग्राम विकास राज्य योजना उपशीर्ष 0119 ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत राज्य के **सुपौल जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के क्षेत्राधीन ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत छातापुर प्रखंड के House of Harilal Rajak to Mandal Tola तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.10 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 82.25 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 2.18 लाख अर्थात कुल राशि 84.43 लाख (चौरासी लाख तेतालीस हजार रूपये)** मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. विषयांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जो विभागीय पत्रांक– BRRDA (HQ) GTSNY –460/2016–3431 पटना, दिनांक 05.05.2017 के द्वारा 72.130 लाख रू0 हेतु प्रदत है, को निरस्त किया जाता है।
2. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
4. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
5. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघुशीर्ष–103–ग्राम विकास राज्य योजना उपशीर्ष 0119–ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना मद में अवशेष राशि 39413.15419 लाख से विकलनीय होगा।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज द्वारा संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता, मधेपुरा एवं मुख्य अभियंता–2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगें।

7. कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणीगंज सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना शीर्ष के अधीन स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या– सं0– मु0 अ0–4 (मु0) GTSNY–999/2018 में पृष्ठ 07/टि0 पर दिनांक 25.05. 2018 को प्राप्त है।
9. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) GTSNY–999/2018 में पृष्ठ 12/टि0 पर दिनांक–12-06-2018 को प्राप्त है।
11. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
12. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणीगंज से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
13. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) GTSNY–999/2018 2154 / पटना, दिनांक 18/6/18

प्रतिलिपि– संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) GTSNY–999/2018 2154 / पटना, दिनांक 18/6/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/उप विकास, आयुक्त सुपौल/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता–2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0–4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव